# <u>करार</u>

दिनांक ........................माह ............................2006 को नई दिल्ली में निम्नलिखित पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है :

एक ओर से प्रसार भारती जिसका प्रतिनिधित्व श्री ...................................., मुख्य अभियंता, आकाशवाणी संसाधन, आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा), जो प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अंतर्गत संस्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसका प्रधान कार्यालय, पीटीआई बिल्डिंग, द्वितीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (भारत) (एतदुपरांत **लाइसेंसदाता** के रूप में संदर्भित) जिस अभिव्यक्ति में उनका उत्तराधिकारी और कार्यवाहक व्यक्ति शामिल हैं।

और

दूसरी ओर से मेसर्स ...................................., कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समाविष्ट एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय, ....................................................में है, मार्फत श्री ......................................................(एतदुपरांत **लाइसेंसधारक** के रूप में संदर्भित) जिस अभिव्यक्ति में उनका उत्तराधिकारी तथा कार्यवाहक व्यक्ति शामिल हैं।

जबकि लाइसेंसदाता रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण के कार्य में संलग्न है तथा उसके पास उक्त प्रयोजन हेतु कतिपय अवसंरचना का स्वामित्व तथा कब्जा है;

और जबकि भारत सरकार ने वर्ष 2005 में एफएम रेडियो चैनलों के आबंटन हेतु बोलियां आमंत्रित की हैं और लाइसेंस धारक ने .............में एक एफएम चैनल हेतु सफलतापूर्वक बोली लगाई है जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा इसे एक आशय पत्र जारी किया गया है।

और जबकि भारत सरकार द्वारा घोषित निजी एफएम रेडियो नीति (चरण-II) के दृष्टिगत, सफल बोली लगाने वालों को लाइसेंसदाता की विद्यमान अवसंरचना के साथ प्रसारण (ट्रांसमिशन) सुविधाओं को सह-संस्थापित करना है तथा सामान्य सुविधाओं को मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एतदुपरांत **बेसिल** के रूप में संदर्भित) द्वारा एकीकृत किया जाना है। इन परिस्थितियों में लाइसेंसधारक ने लाइसेंसदाता ........................में अवस्थित उसकी उपलब्ध सुविधाओं, अर्थात, टावर अपर्चर, खुला स्थान (भूमि)/आच्छादित स्थान (इमारत) तथा अन्य सुविधाओं (एतदुपरांत **लाइसेंस अवसंरचना** के रूप में संदर्भित) का लाभ उठाने की इसे अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

और जबकि लाइसेंसदाता इस करार पर हस्ताक्षर होने के 30 (तीस) दिन के भीतर एतदुपरांत उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अधीन उपर्युक्त लाइसेंस अवसंरचना (विस्तृत ब्यौरा पैरा 3 में) लाइसेंसधारक को उपलब्ध करवाने पर सहमत हो गया है।

दोनों पक्षकारों के बीच निम्नलिखित पर सहमति हुई है :

**1. परिभाषाएं :**

1.1 इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) **साझी प्रसारण अवसंरचना** (सीटीआई) से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा और इसमें एंटिना, कंवाइनर, आरएफ केबल, विद्युत आपूर्ति और लाइसेंस अवसंरचना के संबंध में संस्थापित की जाने वाली तथा एफएम चैनलों और प्रसार भारती के आशय के विभिन्न पत्रों अनुमति धारकों (जहां कहीं भी लागू हो) द्वारा साझे रूप से उपयोग में लाई जाने वाली अन्य सुविधाएं सम्मिलित होंगी।

(ii) **साझे क्षेत्र** से आशय सीटीआई की संस्थापना और उपयोग हेतु विभिन्न लाइसेंस धारकों द्वारा उपयोग में लाई गई भूमि और इमारत से होगा।

**2. अवधि**

यह करार इसे किए जाने की तारीख से प्रवर्तन में आएगा तथा लाइसेंसधारक को आबंटित एफएम चैनल के प्रचालनीकरण की तारीख से दस वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा।

**3.0 महत्व**

3.1 लाइसेंसधारक लाइसेंस अवसंरचना के उपयोग के लिए लाइसेंसदाता को वार्षिक लाइसेंस शुल्क का अग्रिम रूप से तथा प्रथम वर्ष के लिए करार पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार भुगतान करेगा।

| **क्र.सं.** | **लाइसेंस अवसंरचना** | **दर** | **मात्रा** | **लाइसेंस शुल्क@ की दर प्रतिवर्ष** |
|---|---|---|---|---|
| क | टावर | ...........लाख रुपए प्रति वर्ष | एक | ................रुपए |
| ख | खुला स्थान | ............रुपए प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष | ........वर्गमीटर* (बेसिल द्वारा प्रस्तुत ले आउट प्लान के अनुसार) | ........रुपए** |

| क्र.सं. | लाइसेंस अवसंरचना | दर | मात्रा | लाइसेंस शुल्क@ की दर प्रतिवर्ष |
|---|---|---|---|---|
| ग | आच्छादित क्षेत्र# | .....रुपए प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष | ........वर्गमीटर* (बेसिल द्वारा प्रस्तुत ले आउट प्लान के अनुसार) | ........रुपए** |
| घ | साझी सुविधाएं | 1.0 लाख रुपए प्रति वर्ष | एल एस | 1.0 लाख रुपए |
| ड. | एंटिना# | ......... लाख रुपए प्रति वर्ष | एक सेट | ..... लाख रुपए |
| च | कर (यदि लागू हो) | ...... प्रतिशत की दर पर | | ..... रुपए |
| छ | **कुल** (क+ख+ग+घ+ड.+च) | | | ..... रुपए |

# जो लागू न हो उसे काट दें।

* इसमें निजी प्रसारणकर्ता के बीच साझे आधार पर साझा क्षेत्र शामिल है।

** लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति जमाराशि परिवर्तन के अध्यधीन हैं और शेष लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति जमाराशियों उन अंतिम मापनों के अनुसार देय/लौटाने योग्य होंगी जिनका निर्धारण/आकलन संस्थापन कार्य पूर्ण होने के पश्चात मैसर्स बेसिल और आकाशवाणी/दूरदर्शन के प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

@ क्रम संख्या क, ख और ग के संदर्भ में लाइसेंस शुल्क शहरों की विभिन्न श्रेणियों (अलग से अधिसूचित किया जाना है) के लिए प्रसार भारती/सरकार द्वारा निर्धारित/अनुमोदित दरों के अनुसार होगा।

**टिप्पणी : लाइसेंस धारक जहां कहीं लागू हो समय-समय पर करों का भुगतान भी करेगा।**

3.2 वार्षिक लाइसेंस शुल्क में निम्नवत वृद्धि की जाएगी :

(क) खुले/आच्छादित स्थान और साझा सुविधाओं के लिए 10 प्रतिशत हर दो वर्ष के पश्चात।

(ख) टावर के लिए 2.5 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष के पश्चात।

3.3 इस करार की कारगरता के प्रयोजनार्थ, प्रथम वर्ष का प्रारंभ। उस तारीख से माना जाएगा जिसको टावर अपर्चर और खुला/आच्छादित स्थान लाइसेंस प्राप्तकर्ता को अथवा लाइसेंस धारक की ओर से बेसिल को उपलब्ध करवाया जाएगा।

3.4 लाइसेंस शुल्क (निर्धारित वृद्धि सहित) का अनुवर्ती भुगतान बारह माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात अगले वर्ष हेतु अग्रिम किराए के रूप में हर वर्ष देय होगा। भुगतान देय होने के 15 दिन की अवधि के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर भारतीय स्टेट बैंक की विद्‌यमान पीएलआर +2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज वसूलनीय होगा।

3.5 सभी भुगतान नई दिल्ली में सममूल्य पर देय किसी भी अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट "प्रसार भारती, नई दिल्ली" के पक्ष में किए जाएंगे।

4. **प्रतिभूति जमा**

लाइसेंस धारक, लाइसेंसदाता को प्रतिभूति जमाराशि के द्‌वारा एक वर्ष के लाइसेंस शुल्क के समतुल्य धनराशि की भी अदायगी करेगा जो इस करार के समाप्त होने पर बिना किसी ब्याज के लौटा दी जाएगी। प्रतिभूति जमाराशि की अदायगी उपर्युक्त पैरा 3.5 में विनिर्दिष्ट विधि से इस करार पर हस्ताक्षर करते समय या इससे पूर्व की जाएगी

**5. लाइसेंसदाता के उत्तरदायित्व**

5.1 लाइसेंसधारक को ट्रांसमिटर : इसके सहयोजित उपस्कर का संस्थापन कार्य करने और सीटीआई के एकीकरण हेतु सीटीआई और बेसिल द्‌वारा कार्यक्रम संबंधन तथा लाइसेंस धारक द्‌वारा ट्रांसमीटर इत्यादि के बारे में इंगित किए गए मानकों के अनुसार कार्यक्रम की आकस्मिकताओं के अध्यधीन प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कम से कम छः निरंतर घंटों की अनुमति प्रदान करना।

5.2 लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारक या इसकी ओर से बेसिल को सुरक्षा मानकों का अनुसरण करते हुए बिना किसी प्रतिबंध के ऐसे सिविल कार्य करने की अनुमति देने को सहमत है जिनसे लाइसेंसदाता की प्रसारण सुविधाओं में व्यवधान न होता हो।

5.3 यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टावर अपर्चर की अपनी स्वयं की लागत से समय-समय पर अनुरक्षण और मरम्मत करना कि टावर अपर्चर सही हालत में रहे तथा अवधि के दौरान अपेक्षित प्रयोजन हेतु ठीक रहे।

5.4 यह सुनिश्चित करना कि लाइसेंस अवसंरचना से संबंधित करों, यदि कोई हों, का विधिवत भुगतान किया जाता है।

5.5 लाइसेंस इमारत की अपनी स्वयं की लागत पर बड़ी मरम्मतों संबंधी कार्य करवाना (जहां कहीं लागू हो)।

5.6 लाइसेंसदाता को सभी जमाराशियों/लाइसेंस शुल्क की अदायगी करने के उपरांत लाइसेंस अवसंरचना से संबंधित कोई भी अपेक्षित अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करना।

**6. लाइसेंस धारक के उत्तरदायित्व**

6.1 लाइसेंस धारक, लाइसेंसदाता को सीटीआई के उपयोग द्वारा अपनी प्रसारण सेवाओं को संचालित करने पर किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं करेगा और लाइसेंसदाता आरंभिक लागतों और आवर्ती लागतों, जहां कहीं लाइसेंसदाता की आरएफ चेन को संयुक्त किया जाना अपेक्षित हो, सहित उसके उपयोग हेतु किसी प्रभार का भुगतान नहीं करेगा।

6.2 इसे लाइसेंस आधार पर प्रदान की गई अवसंरचना का केवल स्वयं द्वारा और केवल उसी प्रयोजनार्थ उपयोग करना जिसके लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसी भी ऐसे तृतीय पक्षकार को ऐसे उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसने इस करार पर हस्ताक्षर न किए हों।

6.3 निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए लाइसेंसदाता की लिखित सहमति प्राप्त करना :

(i) एंटिना/आरएफ केबल/एएसएफ*/कम्बाइनर* का अनुरक्षण या मरम्मत (*जहां कहीं लागू न हो वहां काट दें)।

(ii) कोई अतिरिक्त निर्माण।

6.4 निर्माण/संशोधन हेतु स्थानीय निकाय से यथा अपेक्षित सभी अनुमतियां प्राप्त करना और उनके सभी देयों तथा करों की अदायगी करना।

6.5 उपयुक्त प्राधिकरण से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप व्यवस्था करना तथा आरंभिक लागत तथा उत्तरवर्ती विद्युत बिलों का समय-समय पर भुगतान करना।

6.6 प्रसारण के तकनीकी मानकों तथा मानदंडों सहित समस्त लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का सर्वदा अनुपालन करना।

6.7 इसे लाइसेंस स्वरूप दी गई भूमि पर निर्मित इमारत और इससे संलग्न फिक्सचरों का अपनी स्वयं की लागत पर अनुरक्षण करना।

6.8 आकाशवाणी/दूरदर्शन/इग्नू सेवाओं में लाइसेंस धारक के प्रसारण के कारण व्यवधानों/ बाधाओं (इंटरमोड), यदि कोई पाए गए हों, का निराकरण करने हेतु लाइसेंसदाता की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार आरएफ चेन में आवश्यक आरएफ फिल्टरों की व्यवस्था करना।

6.9 इस करार की समाप्ति पर सुपर संरचना और फिक्सचरों को अपनी लागत से हटवाना और लाइसेंस अवसंरचना को सही हालत में लाइसेंसदाता को पुन: सौंपना।

**7. दोनों पक्षकार इस पर सहमत हैं कि :**

7.1 सभी सीटीआई उपकरणों, जहां कहीं लाइसेंसदाता की आरएफ चेन से संयुक्त हों, की एक प्रतिबंधित अवधि (लॉक इन पीरियड) होगी जो इस करार के निष्पादन की तारीख से आरंभ होगी तथा इसके संचालन की तारीख से दस वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा।

7.2 लाइसेंसदाता किसी भी उपकरण के संस्थापन/एकीकरण/संचालन में विलंब के कारण लाइसेंसधारक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

7.3 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता के परिसरों के भीतर इसके उपकरणों और कार्मिकों (चाहे वे कर्मचारी हों, एजेंट हों या अन्य) की सुरक्षा और संरक्षा के लिए हर समय पूर्णत: उत्तरदायी होगा और लाइसेंस धारक के किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि अथवा लाइसेंस धारक से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के संबंध में किसी भी नुकसान अथवा हर्जाने के लिए लाइसेंसदाता किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा।

7.4 लाइसेंसदाता, लाइसें सधारक को इस करार की अवधि तक के लिए लाइसेंस अवसंरचना के शांतिपूर्वक उपयोग की अनुमति देगा। तथापि, किसी आपातिक या तकनीकी आवश्यकता की दशा में, लाइसेंसदाता को लाइसेंसधारक को लाइसेंस अवसंरचना का उपयोग न करने देने का अधिकार होगा। लाइसेंसदाता आपातिक और तकनीकी आवश्यकता के बारे में लाइसेंसधारक को संभव सीमा तक पहले से सूचना देगा। तथापि, लाइसेंसदाता ऐसा कोई प्रावधान न होने पर किसी शास्ति अथवा हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस संबंध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा।

7.5 इस करार द्वारा प्रदान की गई अनुमति केवल उपयोग करने का लाइसेंस है तथा इससे लाइसेंस अवसंरचना का कोई भी अधिकार, नाम अथवा हित लाइसेंस धारक के लिए अंतरित नहीं होता। लाइसेंस अवसंरचना में अंतर्गमन तथा उससे निर्गमन का अंतिम नियंत्रण लाइसेंसदाता का होगा।

7.6 लाइसेंसदाता और/या इसके किसी भी कर्मचारी को यथार्थ प्रयोजनों से संबंधित किसी नोटिस के बिना लाइसेंस अवसंरचना में किसी भी समय निरीक्षण सहित स्थल प्रसारण अवसंरचना (अर्थात लिंक उपकरण और प्रणाली प्रसारक परिसर) का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

7.7 यदि लाइसेंस धारक इस करार की समाप्ति पर स्थल से पैरा 7.1 में प्रावधान किए गए के सिवाय अपने सामान को नहीं हटाएगा तो लाइसेंसधारक अनुपात के आधार पर प्रतिवर्ग मीटर के वार्षिक किराए से पांच गुना निर्धारित किए गए हर्जानों का भुगतान करने के दंड का भागी होगा।

7.8 यदि साझा एंटिना का लाइसेंसदाता द्वारा भी उपयोग किया जाता है और एंटिना स्विच फ्रेम (ए एस एफ) पैनल लाइसेंस प्राप्तकर्ता के उपकरण के साथ-साथ अवस्थित हो तो एएसएफ पैनल को पृथक कर दिया जाएगा तथा बाहर से इस व्यवस्था के साथ एक पहुंच द्वार से युक्त एक पारदर्शी विभाजन किया जाएगा कि विद्यमान एफएम प्रसारक भवन के आने वाले आकाशवाणी/इग्नू के संयुक्त आरएफ आउटपुट को एंटिना स्विच फ्रेम से सीधे ही जोड़ा जा सके। लाइसेंस धारक के एक नोडल प्रतिनिधि की लाइसेंसदाता के साथ साझा किए गए सीटीआई की खामियों को दूर करने के लिए लाइसेंसदाता/इसके प्रतिनिधि के साथ समन्वय हेतु पहचान की जाएगी।

7.9 इस करार के पंजीकरण की स्टाम्प ड्यूटी और व्यय को लाइसेंस धारक वहन करेगा।

7.10 मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु यथा अपेक्षित शाट डाउन अथवा कम विद्युत सेवा प्रचालन की अपेक्षा का निर्णय लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंस धारक के परामर्श से मामला-दर-मामला के आधार पर लिया जाएगा।

**8. नियंत्रणातीत घटनाएं**

यदि इस लाइसेंस के जारी रहने के दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा समग्र अथवा आंशिक रूप से किसी दायित्व का निष्पादन युद्ध, शत्रुता, शत्रु के किसी कार्य, नागरिक अशांति, तोड़फोड़, आग, बाढ़, राज्य के किसी कार्य, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल जोकि प्रभावित पक्षकार के किसी दायित्व के निष्पादन को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करे, अथवा किसी दैवीय घटना अथवा इसके

नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण (इनमें से सभी अथवा किसी को इसके पश्चात "नियंत्रणातीत घटना" के रूप में संदर्भित किया गया है) से बाधित अथवा विलंबित हो तो इस प्रकार की नियंत्रणातीत घटना के कारण होने वाले गैर-निष्पादन अथवा निष्पादन में विलंब के संबंध में न तो किसी भी पक्षकार को इस करार को समाप्त करने का अधिकार होगा और न ही किसी भी पक्षकार को हुए नुकसान के संबंध में दूसरे पक्षकार के विरुद्ध दावा करने का अधिकार होगा बशर्ते कि प्रभावित होने वाले पक्षकार द्वारा ऐसी किसी भी नियंत्रणातीत घटना के कारण होने वाली घटना की सूचना प्रभावित न होने वाले पक्षकार को इसके होने की तारीख से 21 दिन के भीतर दे दी जाए।

**9. क्षतिपूर्ति**

लाइसेंसधारक एतद्वारा लाइसेंसधारक द्वारा इस करार के संबंध में असावधानी अथवा इसके उल्लंघन से होने वाले अथवा इसके द्वारा किए गए किसी प्रसारण से होने वाले अथवा इसके द्वारा छोड़ने या शामिल करने के किसी कार्य के कारण होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने और लाइसेंसदाता को ऐसे सभी व्यय, क्षति, दावों, वादों, कार्रवाइयों, निर्णयों, लागतों, कार्यवाहियों, अभियोजनों, कुर्की के आदेशों इत्यादि से और उनके विरुद्ध सुरक्षित रखने के लिए सहमत होता है। यह खंड इस करार को समाप्त किए जाने अथवा समाप्त होने तक सक्रिय रहेगा।

**10. समाप्ति**

10.1 यदि लाइसेंसधारक इस करार के संबंध में कोई उल्लेखनीय उल्लंघन करता है और लाइसेंसदाता से नोटिस प्राप्त करने से 45 दिन के भीतर इसमें सुधार नहीं करता है तो इस करार को लाइसेंसदाता के विकल्प के आधार समाप्त कर दिया जाएगा। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में लाइसेंसधारक को उस वर्ष, जिसके लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया था, की समाप्त न हुई अवधि के संबंध में अग्रिम लाइसेंस शुल्क की वापसी का अधिकार नहीं होगा।

10.2 यह करार स्वत: ही समाप्त हो जाएगा यदि :

(क) लाइसेंसधारक और भारत सरकार के बीच निष्पादित अनुमति मंजूरी करार को समाप्त कर दिया जाता है;

(ख) लाइसेंसधारक के पक्ष में डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी की गई एसएसीएफए स्वीकृति/आवृत्ति प्राधिकरण रद्द कर दिया जाता है।

10.3 लाइसेंसधारक द्‌वारा इस करार की समाप्ति, जोकि लाइसेंसदाता द्‌वारा इस करार के निबंधनों के उल्लंघन पर आधारित न हो, लाइसेंसधारक को लाइसेंसदाता को या तो तीन महीने का अग्रिम नोटिस देना होगा अथवा नोटिस के स्थान पर तीन महीने के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। लाइसेंस शुल्क जमा न कर पाने की स्थिति में लाइसेंसदाता को इसे सुरक्षा जमा राशि से वसूल करने का अधिकार होगा।

**11. करार में संशोधन**

इस करार से पक्षकारों के बीच पूर्ण आपसी समझ परिलक्षित होती है और इसको इस करार के पक्षकारों द्‌वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में परिवर्तित अथवा संशोधित नहीं किया जाएगा।

**12. मध्यस्थता**

इस करार के किसी पहलू के संबंध में सामने आने वाले किसी भी विवाद अथवा मतभेद को सर्वप्रथम इस करार के पक्षकारों के बीच होने वाले पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार के विचार-विमर्श के माध्यम से मतभेद अथवा विवाद का समाधान न हो सकने की स्थिति में अंत में इसे माध्यस्थम एवं संराधन अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यस्थता द्‌वारा हल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी सहमति होती है कि मध्यस्थता का कार्य सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्‌वारा नामित किए जाने वाले एकल मध्यस्थ द्‌वारा नई दिल्ली में किया जाएगा और इस प्रकार दिया गया पंचाट अंतिम और दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

**13. क्षेत्राधिकार**

पक्षकारों के बीच के सभी विवाद दिल्ली स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

**साक्ष्य के तौर पर पक्षकारों** ने इस करार पर पहले उल्लिखित इस दिन, माह और वर्ष में हस्ताक्षर किए।

**हस्ताक्षरित, मुहरबंद और आपूर्ति द्‌वारा**

**(आर. पी. प्रसाद)**

**मुख्य अभियंता, आकाशवाणी संसाधन**

**(प्रसार भारती की ओर से)**

**(.....................................)**

**महाप्रबंधक**

**मैसर्स ............................के लिए और की ओर से**

**(बोर्ड संकल्प सं......................दिनांक ....................के अनुसरण में निष्पादित)**

**की उपस्थिति में :**

| | |
|---|---|
| **(आई. एस. मेहला)** | **(...................................)** |
| **महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)** | **....................................** |
| **आकाशवाणी संसाधन, लाइसेंसदाता,** | **....................................** |
| **आकाशवाणी भवन,** | **....................................** |
| **संसद मार्ग,** | **....................................** |
| **नई दिल्ली-110001** | **....................................** |